कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-05.02.2025

विषय:- हत्या के मामले मे वांछित अभियुक्त राजू यादव को थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया, घटना मे प्रयुक्त 01 अदद ऑटो बरामद।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे, श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-077/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी से सम्बन्धित प्रकाश मे आये वांछित अभियुक्त राजू यादव पुत्र बाढ़ू यादव निवासी ग्राम गौराकला थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को आज दिनांक-05.02.2025 को समय करीब 11.30 बजे मिल्कोपुर अण्डर पास थाना चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 अदद ऑटो को बरामद किया गया। उक्त गिरफ़्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-दिनांक 03.02.2025 को वादी मुकदमा/प्रार्थी द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक-03/02/2025 को कुछ अज्ञात बदमाश उनके चाचा जगदीश यादव को मारकर चुनाडीह वाले मार्ग पर फेक गये है और सुबह हम लोगों को टहलने वालों से सूचना प्राप्त हुई तो पता चला की वह हमारे चाचा है, जिसके आधार पर थाना चौबेपुर में मु0अ0सं0-0077/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक जगदीश कुशवाहा द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवरण पूछताछ- पूछताछ करने पर अभियुक्त राजू यादव ने बताया कि मैं जगदीश यादव का पुराना दोस्त हूँ। लगभग 01 माह पहले में अपनी पत्नी की बाली जगदीश को दिया था और उसके एवज में जगदीश से तीन हजार रुपये लिया था। इसी एक तारीख को मैं जगदीश यादव को 3200/- रुपये दिया लेकिन उस दिन जगदीश मेरा समान (बाली) नहीं दिया और बताया कि बाद में ले लेना। फिर दिनांक-02.02.2025 को शाम के समय जगदीश मुझे अपने दुकान पर बुलाया। मैं वहां गया जगदीश खाने-पीने के लिये कहा तो मैं अपनी आटो में जगदीश को बैठाकर पोखरे के पास लेकर चला गया, जहां दीपू यादव भी आ गये और फिर दीपू और जगदीश शराब की दुकान पर जाकर विस्की और बीयर खरीदे। हमलोग पोखरे के पास शराब पीते रहे और दीपू बीयर पीकर चला गया। मैं और जगदीश काफी शराब पी लिये थे कि नशे में गिर गया और कुछ समय अचैत हो गया फिर मैं उठा तो देखा आटो में जगदीश लेटा हुआ है, फिर मैं जगदीश को उठाया तो जगदीश बोला मैं ठीक हूँ, फिर जगदीश ने कहा चलो कही घुमाओ और खाते-पीते है। फिर मैं अपने आटो में जगदीश को बैठाकर चुनाडीह की ओर हम लोग जाने लगे कि रास्ते में फिर से जगदीश गाली-गलौज करने लगा और व्यंग बोला कि तुम्हारी औकात क्या है और यह बोलते

हुये मेरा पीछे से कपड़ा खीचने लगा जिससे मैं गुस्से में आटो रोककर उसका गला पकड़ने लगा कि हाथा-पाई में उसकी गंजी फट गयी । मैं गुस्से में उसका गला दबा दिया और करीब दस पंद्रह सकैण्ड गला दबा रहा होगा कि वह अचैत हो गया फिर मैं उसको हिलाने-डुलाने लगा तो वह कुछ नहीं बोला । कुछ समय बाद मुझे लग गया कि वह मर गया है । फिर मैं डरकर वही पास रास्ते पर ही उसको किनारे फेंककर वहाँ से भाग गया और फिर बाद में मैं अपनी चोट का इलाज कराया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- राजू यादव पुत्र बाढ़ू यादव निवासी ग्राम गौराकला थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी, उम्र करीब 28 वर्ष ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- मिल्कोपुर अण्डर पास थाना चौबेपुर से, दिनांक-05.02.2025 को समय करीब 11.30 बजे ।

बरामदगी का विवरण- घटना में प्रयुक्त ऑटो UP65ET 0422 बरामद ।

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-077/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 जगदीश कुशवाहा थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
2.हे0का0 अजय कुमार तिवारी थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
3.हे0का0 कृष्णानन्द पाण्डेय थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।
4.का0 जुगनू पासवान थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी